सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, (लोक अदालत), दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0

अपील सं0 20/2018

भैरु पुत्र राम प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम मित्रपुरा तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 08.11.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा

उपस्थित :1. श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक 23.05.2018**

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दौसा ने दिनाक 08.11.2017 को ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसाा के आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.50 किस्म भूमि चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–1) विभाग के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन कर प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होकर बहस में प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का निधन हो चुका है। इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है। अपील अवेट फरमावें। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाने में सहमति प्रकट की। प्रकरण का गुणावगुण व प्रा0 पत्र पत्र के आधार पर लोक अदालत की भावना के अनुसार न्यायहित में निस्तरण करना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की मृत्यु हो जाने के फलस्वरुप अपील चलने योग्य नहीं है। अपील अवेट हो चुकी है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा